न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 33/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
रामकरण पुत्र सुखाराम जाति सुथार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. श्रीमति सायरी देवी पुत्री सुखाराम पत्नि हड़मानराम जाति सुथार निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अ"ाोक कुमार पटेल अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी सयुक्त खातेदारी पूर्व में सुखा[illegible] पु[illegible] बुद्धाराम के नाम से थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में सुखाराम का 1/4 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का है। वं"ावली के अनुसार पक्षकारों के पूर्वज सुखाराम जी थे। सुखराम पुत्र बुद्धाराम जी के एक पुत्र रामकरण तथा दो पुत्रिया सायरीदेवी, गीतादेवी एवं पत्नि पुकलीदेवी है। खातेदार गीतादेवी व पुकलीदेवी ने अपना अपना हिस्सा का हकतर्कनामा प्रार्थी रामकरण के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है जिसका राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण सं. 233 दिनांक 22.12.2012 को स्वीकृत किया जा चुका है। ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से अपने 1/16 वॉ हिस्से भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी सहमति से प्रार्थी के हक में भूमि रखने हेतु का प्रस्ताव दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति दिनांक 07.02.2011 को लिखकर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से 1/16 वॉ हिस्सा को प्रार्थी को सुपुर्द कर कब्जा संभलवा दिया और उसी दिन प्रार्थी ने सौ रूपये के स्टाम्प पर पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से 1/16 वॉ हिस्सा में अपना कोई हक उक्त भूमि में नहीं होने की सहमति पत्र प्रार्थी के पक्ष में लिखकर दे दिया। अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 07.02.2011 को लिखे गये सहमति पत्र में यह स्वीकार किया कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से 1/16 वॉ हिस्सा में मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा, सहमति पत्र में लिखी शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो राजतेज, पंच पंचायती में झूठी पडेगी तथा सहमति पत्र वक्त जरूरत काम आवेगा और सहमति पत्र के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि में आप अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा सकेगें जिसके लिए मेरी पूर्ण सहमति है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सं.1 को उक्त भूमि में दर्ज राजस्व रेकर्ड से अपना नाम हटाने हेतु कहा गया लेकिन अप्रार्थी सं.1 नाम हटाने हेतु आ"वासन देते रहे, क्योकि प्रार्थी इस भूमि पर काबिज थे इस कारण उन्होने अप्रार्थी सं.1 का रेकर्ड से नाम हटाने के लिए अधिक जोर नहीं दिया। प्रार्थी ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा के 1/16 वॉ हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर करीब 40 वर्षो से का”त कर रहा है। प्रार्थी ने विवादित भूमि पर हर वर्ष मूंग,बाजरी,तिल,ज्वार,आदि की फसल बोई है। जब जब भी वादग्रस्त भूमि पर लगान सरकार द्वारा वसूल किया गया, तब तब प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का अदा किया। अतः प्रार्थी इस भूमि को खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है, इस प्रकार प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से कब्जा व का”त चला आ रहा है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं.1 को शुरू से ही है। अतः पिछले 40 वर्षों से अप्रार्थी सं.1 का विवादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं रहने से उनका कोई हक हिस्सा होता तो भो वह समाप्त हो जाता है। एवं पिछले 40 वषो से प्रार्थी का विवादित भूमि के 1/16 वॉ हिस्से की भूमि पर काबिज होने से उनको इस भूमि पर काबिज रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तथा अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की म्याद समाप्त हो चुकी है। स्वीकृत तौर से प्रार्थी इस भूमि पर काबिज है तथा अप्रार्थी सं.1 का इस भूमि पर कभी कब्जा या हक नहीं रहा। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 को राजस्व रेकर्ड से नाम हटाने हेतु कई बार आग्रह किया, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 आ”वासन देती रही एवं अब उन्होने राजस्व रेकर्ड से नाम हटाने से मना कर दिया तो प्रार्थी को अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड से नाम हटाने हेतु का यह घोषणा खातेदारी का दावा पे”ा करना पड रहा है। दिनांक 07.02.2011 को अप्रार्थी सं.1 ने ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से 1/16 वॉ हिस्सा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

अपना कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं होने का उक्त भूमि का सहमति विलेख निष्पादित कर दिया, तब से अप्रार्थी सं.1 का विवादग्रस्त भूमि पर से हक व अधिकार खत्म हो चुके है। अप्रार्थी सं. 1 की कब्जा प्राप्ति की म्याद भी समाप्त हो चुकी है। इस कारण प्रार्थी राजस्व रेकर्ड से अप्रार्थी सं.1 का नाम हटाकर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के पक्ष में सहमति विलेख दिनांक 07.02.2011 को निष्पादित कर दिया है। जिसमें प्रार्थी का हक व अधिकार है विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व का”त होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है। दावे की जानकारी होने पर अप्रार्थी सं.1 द्वारा राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर किसी अन्य लोगों को भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर सकती है। अतः अप्रार्थी सं.1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो भूमि का बेचान हस्तान्तरण किया जा सकता है, इस कारण प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी तथा उनका यह दावा करना ही निरर्थक हो जायेगा।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1351 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1354 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1355 रकबा 11बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1356 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1357 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93 बीघा 11 बिस्वा में से 1/16 वॉ हिस्सा की भूमि का बेचान हस्तान्तरण, रहन, मुंतकिल आदि नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अ”ाोक कुमार पटेल अधिवक्ता ने मूल पत्रावली में वकालतनामा पे”ा किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 2 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। पद संख्या 3 वं”ाावली से संबंधित है जिसको प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया ने कोई सहमति पत्र नही दिया गया है जो दस्तावेज वाद के साथ पे”ा किया गया है वह फर्जी, काल्पनिक व बनावटी दस्तावेज तैयार कर असल के रूप में पे”ा किया है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी सहमति एवं हकतर्क बाबत् कोई हस्ताक्षर नही किये गये है यदि सहमति पर अप्रार्थी का हस्ताक्षर है तो वह फर्जी हस्ताक्षर है तथा ‘ाडयंत्र द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर पे”ा किया गया है। अप्रार्थी द्वारा कोई सहमति पत्र लिख कर नही दिया गया है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। राजस्व नियम की धारा 135 के तहत किसी खातेदार द्वारा सहमति पत्र के जरिये अपना हक व हिस्सा किसी व्यकित को हस्तान्तरण नही होता है किसी का”तकार का हक हिस्सा हस्तान्तरण के लिये पंजीबद्ध दस्तावेज ही आव”यकता होता है बिना पंजीबद्ध दस्तावेज के हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। किसी का”तकार को अपना नाम हटाने के लिए कोई अन्य का”तकार किसी को बाध्य नही कर सकता है। पद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है इस कारण इसी भूमि पर हिन्दू उतराधिकार के तहत अप्रार्थी का कब्जा जन्म से सिद्ध हो जाता है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी ही काबिज का”त है। अप्रार्थी के नाम की खसरा गिरदावरी हर वर्ष होती है तथा उक्त भूमि संबंधी कोई कभी विवादित नही हुई है। पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पैतृक सम्पति में अप्रार्थी जन्म [illegible] का”त है। पद संख्या 9 गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा कोई सहमति पत्र निष्पादित नही किया गया है प्रार्थी द्वारा सह का"तकार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1302, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 की रेकर्डेड सयुक्त खातेदार है तथा सुखाराम जी की प्रथम श्रेणी की वारिसान है, प्रार्थी द्वारा सहमति पत्र/हकतर्कनामा का अपंजीकृत दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। जिसका निर्धारण मूलवाद में होगा तथा उक्त अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested